अध्याय– प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना

- ☆ भाषा की परिभाषा
- ☆ अशुद्धियों का स्वरूप
- ☆ भाषा के कौशलं
- ☆ लेखन कौशलं
- ☆ प्राथमिक स्तर पर भाषा के कौशलों का महत्व
- ☆ मराठी मातृभाषा
- ☆ मराठी भाषा का शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान
- ☆ मराठी भाषा के उद्देश्य

1.2 शोध अध्ययन की आवश्यकता

1.3 समस्या का कथन.

1.4 समस्या कथन में प्रयुक्त परिभाषा

1.5 शोध अध्ययन के उद्देश्य

1.6 शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

1.7 समस्या का सीमांकन

अध्याय– प्रथम

शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना :–

भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। जिस साधन से हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुँचा सकते है, वह भाषा है। भाषा की यह परिभाषा बहुत ही व्यापक है। भाषा हमारे सम्प्रेषण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, माध्यम है। सम्प्रेषण व्यापार के संदर्भ में यह देखा जा सकता है की, इसके एक छोर पर सम्बोधक होता है, जो किसी संदेश को भेजता है और दूसरे छोर पर सम्बोधित होता है। इन दोनों के बीच व्यापार के माध्यम स्वरूप भाषा ही कार्य करती है। अभिव्यक्ति के संदर्भ में भाषा के मौखिक और लिखित ये दोनों रूप है। मौखिक में अभिव्यक्ति का साधन है– ध्वनी। सम्बोधक के रूप में वक्ता संदेश को भाषा में बॉधकर मुह से उच्चारित करता है और श्रोता सम्बोधित के रूप में उसे ग्रहण करता है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन लेखन है, इसमें लेखक संदेश को लिखकर भेजता है और पाठक पढ़कर उसका अर्थ समझता हैं।

भाषा मानव के साथ केवल संपर्क का सूत्र नहीं बल्कि, मानव और पशु के मध्य विवादरहित सीमांकन है। भाषा ही मानव का ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक क्षेत्र में सर्वोत्तम विकास करके उसकी आत्मानुभूति उसके अपने सृजन के साथ एकरस होने का माध्यम भी है।

अनेकता में एकतावाले हमारे देश में अनेक भाषाएँ बोली जाती है। सरकारी ऑकडे के संदर्भ में देखते है तो, अठरह भाषाएँ बताई है। लेकिन हम वास्तवता देखते है, तो हर बारह कि.मी. के बाद भाषा बदलती है। भाषा के कारण ही हमारे देश में अलग–अलग राज्य बने है। हर राज्य में अलग–अलग भाषाएँ बोली जाती है। वहीं उन राज्य की मातृभाषा है, जिसको शिक्षा में प्रथम दर्जा

दिया जाता है। आज तक जितने आयोग (मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग आदि.) हुए, उन्होंने मातृभाषा को ही शिक्षा में प्रथम भाषा का दर्जा दिया है।

भाषा के बिना विचार–विनियम असम्भव है। कुछ सिखने के लिए भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी भाषा को सीखने के कुछ चरण होते है; वह चरण चार है :– (1) सूनना, (2) बोलना, (3) पढ़ना, (4) लिखना जिनका एक–दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है।

आमतोर पर समाज के हर वर्ग की यह शिकायत रहती है कि, माध्यमिक शिक्षा पुरी होने के बाद भी छात्र अथवा छात्राएँ ज्ञानसमझ कौशलं और व्यक्तित्व विकास के अन्य गुणों को नहीं सीख पाते और वह अपेक्षित स्तर से काफी पिछे रह जाते है। वर्तमान लक्ष्यों में बहुत कम विद्यार्थी अपेक्षित दक्षता प्राप्त करते है, अधिकांश विद्यार्थी उनको अपर्याप्त या अपूर्ण रूप से सीखते है। इसके अतिरिक्त कक्षा में कुछ विद्यार्थी इस तरह के होते है। जिनको मराठी भाषा में अधिगम कठिनाई होती है; उसके कारण वह अनेक प्रकार से भाषा कौशलं में अक्षम होते है और लेखन में जादातर अशुध्दियॉ कर देते है, जिसको वर्तनीगत त्रुटियॉ भी कहॉ जाता है। किसी भी विषय को समझने के लिए भाषा का शुद्ध ज्ञान आवश्यक है। आजकल के विद्यार्थियों में इस शुद्ध भाषा ज्ञान की कमी देखी जा रही है। विद्यार्थी लिखते समय भाषा लेखन के नियमों के अनुसार नहीं लिखते है, वह अक्सर विरामचिह्नों, मात्राओं, बिन्दु, संयुक्ताक्षर, शब्द वर्णो, अक्षरों का आकार, अक्षरों का अंतर आदि. में अशुद्धियॉ कर देते है।

☆ **भाषा की परिभाषा :–**

शास्त्रीय अर्थ में विचार की अभिव्यक्ति के लिए किसी समाज द्वारा स्वीकृत जिन ध्वनिसंकेतों का व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते है। मारियों ए. पेई. ने कहॉ है, "भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है।" भाषा की परिभाषा विद्वानों ने अलग–अलग दी हैं; जिसमें से कुछ निम्न प्रकार की है :–

1. **महर्षि पंतजलि** :– "व्याक्ता वाचि वर्ण येषांतं हमें व्यक्त वाच", अर्थात् भाषा वह व्यापार है; जिसमें हम वर्णनात्मक अथवा व्यक्त शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करते है।"
2. **सुमित्रानंदन पंथ** :– "भाषा संसार का नादमय चित्र है। ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व के हृदयतंत्री का विकास है।"
3. **स्वीट महोदय** :– "ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति भाषा है।"
4. **भोलानाथ तिवारी** :– "भाषा उच्चारण–अवयवों से उच्चारित, यादृच्छिक ध्वनि–प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा समाज–विशेष के लोग आपस में आदान–प्रदान करते है।"

☆ **अशुद्धियों का स्वरूप** :–

अशुद्धियों के स्वरूप के सम्बन्ध में अगर देखा जाएँ, तो भाषा वैज्ञानिकों में मतैक्य नहीं है। त्रुटियों को अवांछनीय से लेकर अपरिहार्य, वैयक्तिक से लेकर सामूहिक, महत्वहीन से लेकर महत्वपूर्ण, अरूचिकर से लेकर रोचक, अंतर–भाषिक से लेकर अंतरा–भाषिक, स्थिर से लेकर विकासपरक, अव्यवस्थित से लेकर व्यवस्थित और अस्वाभाविक से लेकर स्वाभाविक तक माना गया है।

कोरडर (1975) ने अधिगमकर्ता की अशुद्धियों की अर्थवस्था पर महत्वपूर्ण चर्चा प्रस्तुत की है, कोरडर का विश्लेषण इस महत्वपूर्ण धारणा पर अवलंबित है कि, मातृभाषा–अधिगम और द्वितीय भाषा–अधिगम में कोई मूलभूत भेद नहीं है।

चूकों और त्रुटियों में भी कोरडर ने अंतर किया है। चूक उन्हें कहते है; जो स्मृति में व्यवधान, थकन जैसी शारीरिक स्थिति और अति भावुकता जैसी मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण होती है। ये भाषा–ज्ञान में कमी की सूचक नहीं होती और हम उनके उच्चरित होते ही उन्हें जान लेते है और तुरंत उन्हें सुधारने की स्थिति में भी होते है, यह स्थिति उन त्रुटियों के जिन्हें अशुद्धियॉं कहते है,

उनके साथ नही होती है। त्रुटियॉं अध्यापक को बताती है कि, अधिगमकर्ता कहॉं तक सीखा है। उसके बाद उसका दूसरे शोधकर्ता को भी मार्गदर्शन होता है।

☆ भाषा के कौशलं :–

"किसी भी भाषा को सीखने के कुछ चरण होते है, उसी के अनुसार उन सभी भाषिक दक्षताओं को प्राप्त किया जाता है, उनको भाषा के कौशलं कहॉं जाता है।" जो कमशः सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये है, जिनका एक–दुसरे से घनिष्ट सम्बन्ध है। इन चारों कौशलों का विकास क्रम में होता है। जैसे बिना सुने बोला नहीं जा सकता, बोलने के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक है। तत्पश्चात् वह पढ़ना और लिखना सिखता है। अतः इन चारों में यदि पहले कौशलं का विकास बच्चे में नहीं हो पाया; तो वह आगे के कौशलं नहीं सीख सकता। सुनना और बोलना किसी भी भाषा के वह महत्वपूर्ण चरण है। जिन पर बाकी के दो पढना और लिखना ये निर्भर होते है; क्योंकि वह सुनना और बोलना इन दोनों के फलस्वरूप ही विकसित होते है। जिनको ग्रहण और अभिव्यक्ति में इस प्रकार विभाजित किया जाता है।

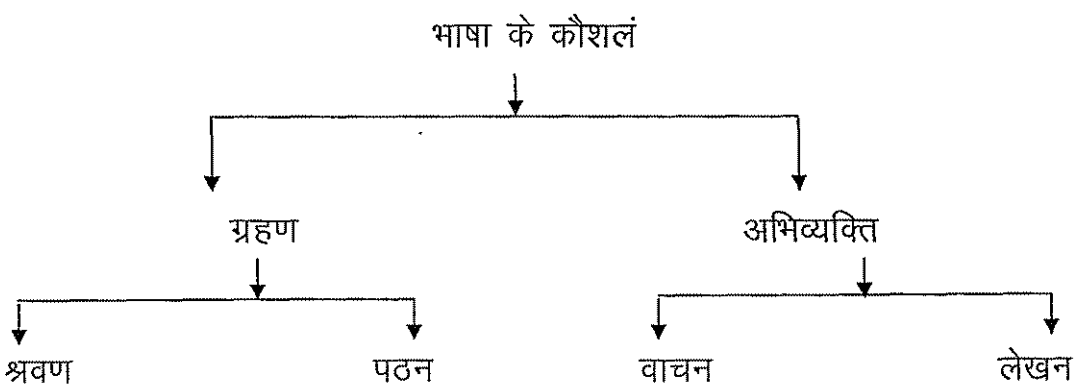

भाषा के ये चारों कौशलं महत्वपूर्ण है। इनका एक–दूसरे पर प्रभाव पड़ता है।

1. लेखन कौशल :–

मॉन्टेसरी के मतानुसार, "लेखन एक शारीरिक क्रिया है।" जिसके कारण बालकों को हाथो की गतिविधियॉ करनी पड़ती है। यह कार्य वाचन की अपेक्षा सरल है और उन्हें आनन्द की प्राप्ति होती है। लिपी का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन कौशलं के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार वह लिखित अभिव्यक्ति ही है।

लेखन कला व्यक्ति की सफलता का मुलमंत्र है। इसके अभाव में व्यक्ति कितना ही पढ़ा–लिखा हो, यदि वह अपने विचारों एवं भावों को लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर पाता है। यदि उसका हस्तलेखन ठीक नहीं है, तो वह सम्पर्क में आनेवाले व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छे लेखन की शक्ति अद्‌भूत होती है। 'कलम बडी या तलवार' कविता में जहॉ कलम को तलवार से श्रेष्ठ निरूपित किया गया है, वहॉ वस्तुतः लेखन की कला की उत्कृष्टता की सराहना की गई है। महात्मा गांधी के अनुसार– "शुद्धलेखन शिक्षा का आवश्यक अंग है।"

अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। लिखकर हम अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान कर सकते है।

1. जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र है जहॉ, केवल मौखिक अभिव्यक्ति से काम नहीं चलता है। दूर रहनेवाले मित्र या सम्बन्धी को अपना संदेश देने, एक–दूसरे के साथ कोई कार्य करने या अन्य कोई समाचार पहुँचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है।
2. दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब–किताब रखने आदि. व्यवहार कार्यों में लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता हैं।

3. भाषा के दो रुप है– मौखिक एवं लिखित। अतः भाषा परीपूर्ण अधिकार की दृष्टि से भी लेखन कौशलं का विकास आवश्यक है।
4. शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, ग्रहकार्य करने, पाठ का सार तैयार करने आदि. में लेखन कौशलं की आवश्यकता होती है।
5. हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा के माध्यम से ही हस्तांतरित करके हम तक पहुँचाया है। इसी तरह हमारी संस्कृति आगे की पीढ़ी तक भी हस्तांतरित होती रहेगी।
6. लिखित भाषा बालक के हाथ और मतिष्क में संतुलन बनाकर रखती है। भाषा में एकरूपता लाती है।
7. लिखित भाषा ही साहित्य के भण्डार में वृद्धि करती है। यदि लिपी न होती तो साहित्य कहॉ से आता, यदि लेखन कौशलं न होता तो नई–नई रचनायें कहॉ से आती ।
8. देश–विदेश में हो रहे ज्ञान–विज्ञान यदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही है।

2 प्राथमिक स्तर पर भाषा के कौशलों का महत्व :–

भाषा एक कौशलं है। कौशलं में प्रविणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को छोटी आयु से ही किसी कौशलं का अभ्यास कराया जाता है; तो वह उस कौशलं पर शीघ्रता से पूर्णता के साथ अधिकार प्राप्त कर लेता है। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण वह कौशलं का अनुकरण बड़ी तीव्रता के साथ करता है।

भाषिक कौशलों की शिक्षण की दृष्टि से भी बालक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे की शैशावस्था एवं बाल्यावस्था में अनुकरण प्रवृत्ति तीव्र होती है और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अतः

प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बहुत सुगमता व सहजता के साथ इन भाषा के कौशलों का अभ्यास कराया जा सकता है, वैसे तो बच्चे प्राथमिक कक्षा में ही प्रवेश करने से पूर्व चारों कोशलों का कुछ न कुछ ज्ञान रखते है। परन्तु यह जरूरी नहीं की उनका यह ज्ञान शुद्ध ही हो।

आवश्यकता इस बात की है कि, अध्यापक यह पता लगाए की, कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बालक कितना कुछ जान चुका है। इसी पूर्वज्ञान को आधार बनाकर बालक के भाषा के चारों कौशलों का उत्तरोत्तर विकास किया जा सकता है।

अध्यापक यह भी पता लगाए कि, उसका कितना ज्ञान शुद्ध है और कितना अशुद्ध। अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है, वह अमिट होती है। अतः प्रथम कक्षा से ही बच्चे को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बोलने, पढने–लिखने आदि. का अभ्यास कराया जाए। प्राथमिक स्तर पर बालक की आयु–बहुत लचीली होती है। इस आयु में उसके अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना आसान होता है। अतः चारों भाषीक कौशलों को विकसित करने की दृष्टि से प्राथमिक स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस आयु में बालक की मांसपेशियों में भी लचीलापन होता है। लिखित कौशलं को विकसित करने की दृष्टि से सुन्दर, सुडौल लेख का अभ्यास कराने के लिए यही समय सर्वथा उपयुक्त है। बालक की ऊँगलियों का हम विभिन्न वर्णो के लेखन की दृष्टि से जिन दिशाओं में घुमाने का अभ्यास करा देंगे, वह आयुपर्यन्त के लिए स्थायी प्रभाव छोड देगा। यदि इस समय सुडौल लेख का अभ्यास करा दिया जाए, तो बालक का लेख हमेशा के लिए सुन्दर व सुडौल हो जाएगा।

विद्यालय में समय–समय पर विभिन्न प्रकार की भाषा सम्बन्धी क्रियाएँ व खेल आयोजित किए जाएँ। जिनमें बच्चों को इन कौशलों के अभ्यास का अवसर मिले।

इस प्रकार सुनकर विचार व भाव ग्रहण करने, बोलकर विचार करने, पढकर अर्थग्रहण करने एवं लिखकर विचार व्यक्त करने की पहली सीढ़ी या नींव यह प्राथमिक स्तर ही है। यह प्राथमिक स्तर ही शिक्षा के भावी स्तरों का आधार है। प्राथमिक स्तर पर बालक में विकसित की गई योग्यता एवं कौशलं ही माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर तक उत्तरोत्तर विकसित होते रहते है। यदि प्राथमिक स्तर पर बालक किसी भी कौशलं का अर्जन पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा, तो आगे के स्तर में उस कौशलं के सम्बन्ध में वह पिछडा ही रहेगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर इन चारों कौशलों का ठीक रूप से ज्ञान एवं अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। अध्यापक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए।

☆ **मराठी मातृभाषा :–**

व्यक्ति के जीवन में मातृभाषा का स्थान निसर्गतः सर्वोपरि है और सभी शिक्षाशास्त्री इससे सहमत है। मातृभाषा का अर्थ है, "क्षेत्र विशेष में समाज स्वीकृत परिनिष्ठित भाषा, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्य सम्पन्न होते है।"

बर्नार्ड के अनुसार, "माता–पिता से सुनकर सीखी हुई भाषा, घर की बोली को माता की भाषा और समाज द्वारा स्वीकृत मानक भाषा को मातृभाषा कहा है।"

"भारत में हिन्दी भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषाई परिवार है।" इसका विभाजन इण्डो–युरोपीय भाषा परिवार से हुआ। मराठी भारत के महाराष्ट्र प्रांत में बोली जाने वाली सबसे मुख्य भाषा है। भाषाई परिवार से अपभ्रंश तक का सफर पुरा होने के बाद इसका उपयोग शुरु हुआ है। भारत की दो–तिहाई से अधिक आबादी हिन्दी आर्यभाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों तक प्रयोग करती है। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है। जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की मातृभाषा मराठी है।

मराठी एक जीवित और सशक्त भाषा है। वह महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली है। मराठी भाषा ने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसकी पाचन शक्ति कमजोर नहीं है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपनाया है।

सन्त मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ आदि सन्त–महन्तों ने मराठी भाषा का विकास किया है।

मराठी भाषा ने अपने शब्दों के भण्डार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। मराठी भाषा का प्रभाव अन्य भाषा पर भी है। मराठी भाषा सरल है, इसकी लिपी देवनागरी है। इसलिए यह भाषा हिन्दी से मिलती जुलती है। मराठी भाषा की उत्पत्ति आर्य भारतीय संस्कृत भाषा से हुई है।

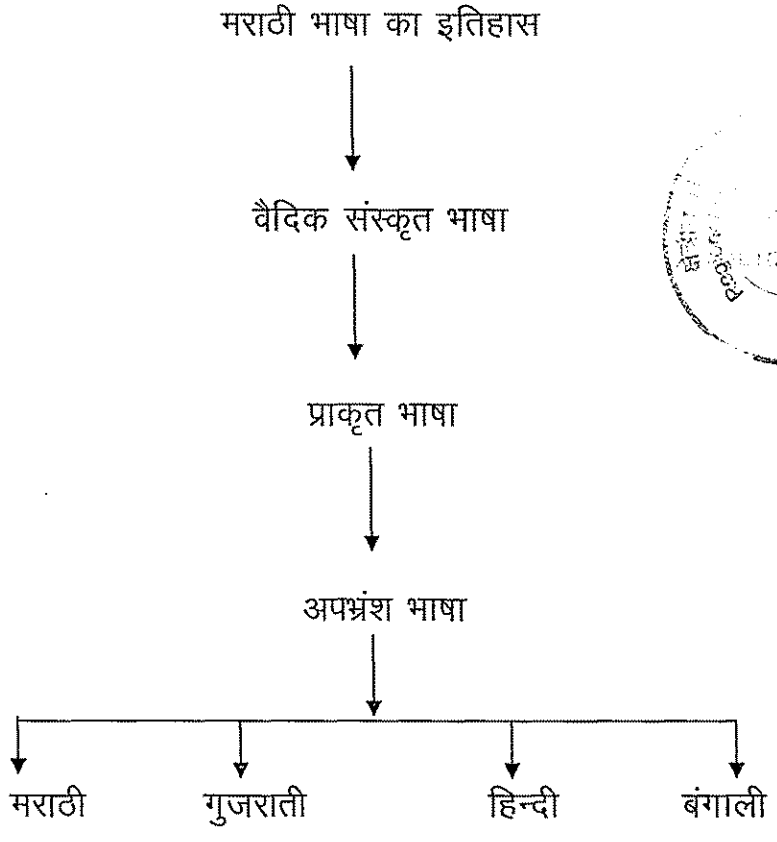

मराठी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शतीं के लगभग 300 सौ. वर्ष पूर्व अवश्य हो चुकी है, ऐसा मानते है। मैसूर प्रदेश के श्रवणबेलगोल नामक स्थान की

गोमतेश्वर प्रतिमा के नीचे वाले भाग पर लिखी हुई, "श्री चामुण्डराजे करवियले" यह मराठी भाषा की सर्वश्रेष्ठ ज्ञात पंक्ती है। यह सम्भवतः ई. सन् 905–983 में उत्कीर्ण की गई हैं। यहॉ से यादवों के काल तक के लगभग 75 शिलालेख आज तक प्राप्त हुए हैं, इनकी भाषा का संपूर्ण या कुछ भाग मराठी है। मराठी भाषा का निर्माण प्रमुखतः महाराष्ट्री प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से होने के कारण संस्कृत की अतुलनीय सम्पत्ति का उत्तराधिकार भी इसे मुख्य रूप से प्राप्त हुआ है। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं को आत्मसात कर मराठी ने 12वीं शती से अपना अलग–अलग अस्तित्व स्थापित करना शुरू किया।

☆ मराठी भाषा का शिक्षा पाठ्यक्रम में स्थान :–

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनके सामाजिकरण में भाषा का पुर्णरूप से योगदान होता है। यह माना जाता है कि, मानव में भाषा अर्जन और भाषा व्यवहार की सहज क्षमता रहती है।

'मातृभाषा माता की भाषा या बोली के ही परिष्कृत और साहित्यिक रूप में होती है।' भाषा शिक्षा की दृष्टी से इस परिष्कृत मातृभाषा का ही महत्व है, क्योंकि वही हमारे साहित्य, ज्ञान–विज्ञान की भाषा है। वह शिक्षित जनोचित, शिष्ट भाषा एवं पत्र–पत्रिकाओं की भाषा है।

भारत एक बहुभाषी देश है। बोलियॉ तो सैंकडो हैं, पर मातृभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होनेवाली भाषा भी अनेक है। उदाहरण. महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती आदि।

हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भी मातृभाषा के महत्व को स्वीकार किया गया है। शिक्षा आयोगों ने भी प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम मातृभाषा कहा है।

मुदलियार आयोग (1952–53) के अनुसार, शिक्षा के माध्यम के सुझाव दिये की, 'मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार की जायेगी।'

त्रिभाषा सूत्र (1956–1961) के अनुसार, मातृभाषा को शिक्षा में प्रथम भाषा का स्थान दिया है।

कोठारी आयोग (1964) के अनुसार, मातृभाषी ही शिक्षा का माध्यम है, और प्रथम भाषा के रूप में उसका अध्ययन अनिवार्य है।

एन.सी.एफ. (2005) के अनुसार, त्रिभाषा फॉर्मूला को पुनः लागू किए जाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों की घरेलू भाषाओं और मातृभाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता देने की जरूरत है। इनमें आदिवासी भाषाएँ भी शामिल है। भारतीय समाज के बहुभाषात्मक प्रकृति को स्कूली जीवन समृद्धि के लिए संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।

☆ **मराठी भाषा के उद्देश्य :–**

किसी भी भाषा अध्ययन का मतलब है कि, अपने विचारों का आदान–प्रदान करना। विचार विनिमय से तात्पर्य, विचार ग्रहण एवं विचारों की अभिव्यक्ति दोनों से है। बालक जब विद्यालय में आता है, तो वह अपनी मातृभाषा के कुछ शब्दों और वाक्यों को प्रयोग में लाना सीख चुका होता है। यह देखा जाता है कि, इन शब्दों, वाक्यों का प्रयोग प्राथमिक किसी बोली से अधिक होता है। विद्यालय में छात्र मराठी भाषा की शब्दावली, व्याकरण आधारित संरचनाऐं, भाषा व्यवहार आदि का शिक्षण प्राप्त करता है।

मराठी भाषा सिखने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. समझते हुए सूनना।
2. औपचारिक एवं अनौपचारिक वार्तालाप स्थिति में प्रभावी ढंग से बोलना।

3. समझते हुए पढ़ना और विभिन्न प्रकार की शैक्षिक सामग्री को पढ़ने में आनन्द लेना।
4. विचारों को पढ़ने में तार्किक क्रम और मौलिकता के साथ साफ लिखाई में प्रस्तुत करना।
5. सुकर विचारों को सुनना एवं पढकर समझना।
6. विभिन्न सन्दर्भ में व्याकरण का व्यावहारिक प्रयोग करना, निबन्धलेखन, पत्र लेखन, संवाद, सारांश आदि. में लेखन शुद्धता को बढ़ाना।
7. छात्रों को अपने व्यक्तित्व जीवन में मानसिक, बौद्धिक व सामाजिक समस्याओं को समझने एवं उसका हल खोजने का विकास करना।

1.2 शोध अध्ययन की आवश्यकता :–

भाषा विचारों के आदान–प्रदान का माध्यम है; जो हमारे विचारों, भावनाओं को दुसरों तक पहुँचाती है और दूसरों के विचारों को हम तक पहुँचाती है। भाषा ज्ञान के दुर्बलता के कारण विद्यार्थी लेखन में वर्तनीगत अशुद्धियॉं करता देखा जाता है। वह उचित अनुच्छेद व मात्राएँ, विरामचिह्न, संयुक्ताक्षर, शब्द, वर्ण आदि. का प्रयोग नहीं कर पाता। वह व्याकरणीक मर्यादाओं का पालन करने में असमर्थ सिद्ध होता है। इन सबका प्रभाव उसके लेखन अधिगम में कठिनाईयों पर पड़ता है। जिसका उसकी उपलब्धि पर तो परिणाम होता ही है, बल्कि विद्यार्थी प्राथमिक स्तर तो 4थी कक्षा तक उत्तीर्ण होता है, लेकिन बाद में 5वी, 6वीं या 10वीं कक्षा तक ऐसा बालक निराश होकर स्कूल का त्याग करता है अथवा कमजोर ज्ञान के कारण सदा सर्वदा उपहास का पात्र बन जाता है।

अतः शाला में इस बात का पता लगाने के लिए इस अध्ययन की आवश्यकता है कि, विद्यार्थी कहॉं तक सफल हुए है और कहॉं–कहॉं गलतियॉं करते है। उनका मराठी लेखन के संदर्भ में कहा तक भाषा विकास हुआ है और

कहा अशुद्धियॉं हुई है, इसका पता लगाकर उन कमियों को दूर करने हेतु ऐसा उपचारात्मक शिक्षण दिया जाये की उनकी अशुद्धियॉं कम कर दी जाये।

1.3 समस्या का कथन :–

कक्षा छठवीं के मराठी भाषी विद्यार्थियों के मराठी भाषा लेखन की अशुद्धियों का अध्ययन एवं सुझाव।

1.4 समस्या कथन में प्रयुक्त परिभाषा :–

(1) मराठी भाषी :–

"जिनकी मातृभाषा मराठी है और जो विद्यार्थी मराठी माध्यम के स्कूलों (विद्यालयों) में पढ़ते है, उनको मराठी भाषी कहते है।"

(2) लेखन अशुद्धियॉं :–

"मराठी भाषा लेखन कौशलं में विद्यार्थियों से जो गलतियॉं (त्रुटियॉं) होती है, उसे लेखन अशुद्धियॉं कहते है।" उदाहरण– मात्राऍं, विरामचिह्न, संयुक्ताक्षर, शब्द, वर्णों और अनुच्छेद रचना आदि. में होनेवाली अशुद्धियॉं।

1.5 शोध अध्ययन के उद्देश्य :–

1. कक्षा छठवीं के मराठी भाषी विद्यार्थियों के मराठी भाषा लेखन की अशुद्धियों का अध्ययन करना।
2. कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के मराठी भाषा लेखन की अशुद्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के मराठी भाषा लेखन की अशुद्धियों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. कक्षा छठवीं के मराठी भाषी विद्यार्थियों के मराठी भाषा लेखन की अशुद्धियों के कारणों को जानना।

5. कक्षा छठवीं के मराठी भाषी विद्यार्थियों के मराठी भाषा लेखन की अशुद्धियों के निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.6 शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ :–

1 कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के लेखन में मात्राओं सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

2 कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के लेखन में विरामचिह्नो सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

3 कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के लेखन में संयुक्ताक्षर सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

4 कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के लेखन में वर्ण सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

5 कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के लेखन में शब्दों सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

6 कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के लेखन में अनुच्छेद रचना सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

7 कक्षा छठवीं के मराठी भाषी छात्र एवं छात्राओं के लेखन में हुई कुल अशुध्दियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

8 कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन में मात्राओं सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

9 कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन में विरामचिह्नो सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

10 कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन में संयुक्ताक्षर सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

11 कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन में वर्ण सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

12 कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन में शब्दों सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

13 कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन में अनुच्छेद रचना सम्बन्धी अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

14 कक्षा छठवीं के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन में हुई कुल अशुद्धियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

1.7 समस्या का सीमांकन :–

- प्रस्तुत अध्ययन महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित नेवासा तहसील के 4 विद्यालय तक सीमित है।
- प्रस्तुत अध्ययन में मराठी भाषा अध्ययनरत विद्यार्थियों को सीमित रखा है।
- इस अध्ययन में कुल 80 विद्यार्थी लिये गये है। उसमें शासकीय विद्यालय के 40 और अशासकीय विद्यालय के 40 विद्यार्थियों को प्रतिदर्श के रूप में लिया है। इसमें शासकीय विद्यालयों के 40 विद्यार्थियों में 20 छात्र और 20 छात्राएँ प्रतिदर्श रूप में ली है, इसी प्रकार अशासकीय विदयालय के 40 विद्यार्थियों में भी 20 छात्र और 20 छात्राएँ प्रतिदर्श रूप में ली है।
- प्रस्तुत अध्ययन में कक्षा छठवीं के मराठी भाषा परीक्षण पत्र में मराठी भाषा लेखन के लिए एक अनुच्छेद दिया गया, जो शोधकर्ता के द्वारा पढ़ने के बाद विद्यार्थियों द्वारा सुनकर लिखा गया। जिसमें मात्रा, विरामचिह्न, संयुक्ताक्षर, वर्णो, शब्दों, अनुच्छेद रचना में होनेवाली अशुद्धियों का अध्ययन किया गया।